छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र

बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2007

तारांकित प्रश्नोत्तर

मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

1. (*क्र. 116) **श्री चन्द्रभान बारमते :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन स्थानों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किस-किस तिथि से संचालित है ? (ख) स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं ? भवन निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदो की पूर्ति

2. (*क्र. 64) **श्री लच्छुराम कश्यप :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है ? नाम सहित जानकारी देवें ? (ख) किन-किन केन्द्रों में चिकित्सक, नर्स एवं अन्य स्टॉफ के पद कब-कब से रिक्त है ? (ग) रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा संचालित कार्य

3. (*क्र. 412) **श्री निर्मल सिन्हा :** क्या राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में वर्तमान में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पद के विरुद्ध संवर्गवार कौन-कौन कार्य कर रहे है ? (ख) क्या महानिदेशक के पद पर स्थाई नियुक्ति की गई है ? परिषद् द्वारा राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी, कार्यशाला आदि कब-कब आयोजित की गई ?

राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) जी नहीं. परिषद् द्वारा राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी, कार्यशाला निम्नानुसार आयोजित की गई है :-

1. राष्ट्रीय पेटेंट इन्टरेक्टिव मीट (सम्मेलन) दिनांक 29-30 जुलाई 2004 को रायपुर में.
2. छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की डेटाबेस के प्रबंधन विषय पर विचार उत्प्रेरक राष्ट्रीय संगोष्ठी दिनांक 09-10 अक्टूबर 2006 को रायपुर में.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा मलेरिया उन्मूलन हेतु स्वीकृत राशि

4. (*क्र. 318) **श्री उदय मुदलियार :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं मलेरिया उन्मूलन के अंतर्गत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ? राशि का उपयोग किन-किन मदों में कितना-कितना किया गया ? वर्षवार, मदवार, राशिवार जानकारी देवें.

---

† परिशिष्ट "एक" †† परिशिष्ट "दो" ‡ परिशिष्ट "तीन"

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में रुपये 21930528.00 एवं वर्ष 2006-07 में रुपये 4201400.00 का आवंटन प्राप्त हुआ तथा मलेरिया उन्मूलन के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में रुपये 3256419.00 एवं वर्ष 2006-07 में रुपये 2971186.00 का बजट प्राप्त हुआ. राशि के उपयोग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर है.

शौचालय निर्माण में अनियमितता पर कार्यवाही

5. (*क्र. 347) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बड़ेनवापारा के शौचालय निर्माण में अनियमितता एवं गबन की 13-09-2007 की जांच में सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड- सारंगढ़ द्वारा क्या-क्या अनियमितता पायी गयी ? प्रतिवेदन कार्यपालन अभियंता, रायगढ़ के माध्यम से कलेक्टर-रायगढ़ को कब प्रस्तुत किया गया ? (ख) जांच में किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (श्री केदार कश्यप) : (क) शासन द्वारा प्रदायित राशि के विरुद्ध कुछ शौचालय निर्माण नहीं कराये गए, कुछ शौचालय मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार नहीं बनाए गए. प्रतिवेदन कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रायगढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3376/तशा/काअ/रायगढ़, दिनांक 16-11-07 द्वारा कलेक्टर को प्रेषित किया गया है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) जांच प्रतिवेदन कलेक्टर, रायगढ़ को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित.

दुर्ग जिले में पेयजल योजनाओं की स्थिति

6. (*क्र. 153) **डॉ. चेतन वर्मा :** क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2000-2001 से 2006-2007 तक कौन-कौन सी पेयजल योजना कब-कब स्वीकृत की गई ? कौन-कौन सी योजनाएं पूर्ण होने उपरांत उपयोग में लाई जा रही है ? (ख) कौन-कौन सी योजनाएं अपूर्ण है, और क्यों ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (श्री केदार कश्यप) : (क) एवं (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार.

दुर्ग जिले में गौरव पथ योजनांतर्गत चयनित मार्ग

7. (*क्र. 85) **श्री भूपेश बघेल :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के विभिन्न नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषद् एवं नगर निगम में गौरव पथ योजना के अंतर्गत किन-किन मार्गों का चयन किया गया है तथा निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? (ख) कितने मार्ग निर्मित हो चुके हैं एवं कितने शेष है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) दुर्ग जिले के नगरीय निकायों में गौरव पथ योजना के तहत चयनित मार्ग एवं स्वीकृत राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) 07 निकायों में गौरव पथ का कार्य प्रगति पर है तथा 14 निकायों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है.

एड्स नियंत्रण के लिए टी. आई. प्रोजेक्ट के तहत एन. जी. ओ. को भुगतान

8. (*क्र. 460) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में एड्स नियंत्रण के लिये टी. आई. प्रोजेक्ट के तहत कितने प्रोजेक्ट संचालित है ? (ख) क्या कंडिका "क" के कार्य एन. जी. ओ. के माध्यम से कराये जा रहे है ? यदि हां, तो एन. जी. ओ. के नाम एवं पता दें ? (ग) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में कंडिका "ख" के एन. जी. ओ. को कितनी राशि का भुगतान किया गया ? शेष कितनी राशि दी जानी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) राज्य में एड्स नियंत्रण के लिए टी. आई. प्रोजेक्ट के तहत 16 प्रोजेक्ट संचालित है. (ख) हां, कंडिका "क" के कार्य एन. जी. ओ. के माध्यम से कराया जा रहा है. एन. जी. ओ. के नाम एवं पता ‡ संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ग) वर्ष 2006-07 में एन. जी. ओ. को प्रदत्त राशि का विवरण ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. वर्ष 2007-08 में एन. जी. ओ. को कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया. शेष राशि निरंक है.

† परिशिष्ट "चार" †† परिशिष्ट "पांच" ‡ परिशिष्ट "छः"

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

9. (*क्र. 186) **महंत रामसुंदर दास :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है ? स्थानवार नाम सहित बतायें ? (ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में क्या सभी में भवन उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो भवन विहीन स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी ग्रामवार देवें ? (ग) भवन विहीन स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन की सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) जी नहीं. जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

महासमुंद जिले में नलकूप खनन एवं हैण्डपंप मरम्मत की जानकारी

10. (*क्र. 287) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में अप्रैल, 2007 से 31 अक्टूबर, 2007 तक कितने नलकूपों का खनन किया गया ? कितने सफल एवं असफल है ? (ख) महासमुंद जिले में वर्ष 2007 में विशेष मरम्मत/अनुरक्षण मद से कितने हैण्डपंप की मरम्मत कितनी लागत से कराई गई ? विकासखण्डवार बतायें ? (ग) उक्त जिले में नलजल योजना के कितने ग्रामों के पाईप लाईन विस्तार के कार्य लंबित है ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (श्री केदार कश्यप) : (क) उक्त अवधि में कुल 186 नलकूपों का खनन किया गया. इनमें से 150 सफल एवं 36 असफल है. (ख) उक्त अवधि (1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2007 तक) में हैण्डपंप अनुरक्षण मद से कुल 6104 हैण्डपंपों की मरम्मत करायी गयी, जिस पर कुल रु. 4601059.00 व्यय हुआ. विकासखण्डवार विवरण †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) महासमुंद जिले में नलजल योजना के किसी भी ग्राम में पाईप लाईन विस्तार का कार्य लंबित नहीं है.

संविदा आधार पर नेत्र सहायकों की भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता

11. (*क्र. 91) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2001 में राज्य शासन द्वारा पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स प्रारंभ किया गया था ? यदि हां, तो कोर्स कितने वर्षीय था ? (ख) क्या वर्ष 2002, 2003 में प्रदेश में संविदा नेत्र सहायकों की नियुक्ति की गई थी? यदि हां, तो शैक्षणिक अर्हता व पात्रता क्या निर्धारित थी? (ग) क्या संविदा नेत्र सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी हां. एक वर्षीय. (ख) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता. संविदा नियुक्ति सन् 2004 में 2 वर्ष के लिये दी गई थी. समय सीमा समाप्त हो गई है.

जिला चिकित्सालय रायगढ़ में नवजात शिशुओं का जन्म एवं मृत्यु दर

12. (*क्र. 193) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त 2007 से अक्टूबर 2007 तक रायगढ़ जिला मुख्यालय स्थित शासकीय जिला चिकित्सालय में कुल कितने नवजात शिशुओं का जन्म हुआ तथा कितने बच्चों की मृत्यु हुई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जन्म 753 तथा मृत्यु 38.

मेडिकल उपकरण खरीदी में अनियमितता

13. (*क्र. 481) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ. ग. शासन द्वारा माह सितम्बर, 2006 से सितम्बर 2007 के मध्य कलर डापलर, मानीटर, माइक्रोस्कोप और स्प्रे मशीनों की खरीदी की गई है ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत, कौन-कौन सी संस्थाओं से, कौन-कौन सी कंपनी का, कितनी-कितनी लागत की खरीदी या आपूर्ति की गई है. (ख) क्या यह सत्य है, आपूर्तिकर्ता संस्थान ने नकली उपकरण ज्यादा कीमत पर बिना परीक्षण कराये आपूर्ति कर दी एवं भुगतान भी संबंधित संस्थानों को कर दिया गया

† परिशिष्ट "सात"

†† परिशिष्ट "आठ"

है ? यदि हां, तो कितने उपकरण की आपूर्ति की गई एवं कितनी राशि का भुगतान किस-किस संस्थान को किया गया है ? (ग) क्या प्रश्न (क) एवं (ख) में पूछे गये उपकरणों की खरीदी एवं आपूर्ति में हुई गड़बड़ी हेतु किसी अधिकारी या आपूर्तिकर्ता संस्थान के पदाधिकारी पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी हां. † संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार. (ख) जी हां. † संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार. (ग) जी हां. (क) एवं (ख) की शिकायतों के आधार पर प्रारंभिक कार्यवाही में संबंधित फर्म से सामग्री को बदलकर आदेश में वर्णित स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करने हेतु लिखा गया, मानीटर के लिए ट्रिवीट्रान सिस्टम, रत्नाबांधा रोड, धमतरी को राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया जिसमें से राशि रुपये 1.76 लाख वापस जमा की जा चुकी है, शेष राशि जमा करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, 08 नग कलर डापलर के भुगतान पर शासन द्वारा रोक लगायी गई है, राज्य कार्यक्रम अधिकारी मलेरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, भण्डार प्रभारी का प्रभार बदला गया तथा स्टोर कीपर को निलंबित कर प्रकरण विवेचना हेतु थाना गोलबाजार रायपुर में दिनांक 5-10-2007 को पंजीबद्ध कराया गया.

कोयला खदानों से प्रभावित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

14. (*क्र. 75) **श्री बोधराम कंवर :** क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा जिले की कोयला खदानों से प्रभावित पेयजल संकट वाले ग्रामों में पेयजल प्रदाय हेतु कौन-कौन सी योजनाएं कहां-कहां पर बनायी जाना प्रस्तावित है ? प्रत्येक की लागत क्या है ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (श्री केदार कश्यप) : खदानों से प्रभावित क्षेत्र के समस्त ग्रामों में निर्धारित मापदंड के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. अत: वर्तमान में इस क्षेत्र हेतु कोई योजना बनाना प्रस्तावित नहीं है. लागत का प्रश्न ही नहीं उठता.

मेडिकल उपकरण खरीदी में अनियमितता पर कार्यवाही

15. (*क्र. 458) **मोहम्मद अकबर :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2006 एवं 2007 में किन-किन फर्मों से, किस-किस दर पर, माइक्रोस्कोप, कलर डापलर, मॉनीटर, हीमो डायलिसिस, स्प्रे मशीन एवं लैप्रोस्कोप खरीदा गया है ? भुगतान की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ख) क्या उक्त खरीदी में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) जिले स्तर पर क्रय के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. प्रदेश स्तर की खरीदी पर प्राप्त शिकायत एवं प्रारंभिक जांच के आधार पर गोल बाजार थाना रायपुर में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है.

स्प्रे मशीनों की खरीदी में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

16. (*क्र. 465) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मच्छर मारने के लिए खरीदी गई स्प्रे-मशीनों की घटिया क्वालिटी सप्लाई किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब ? (ख) कंडिका ''क'' की सामग्री किस फर्म से कितनी मात्रा में एवं कितनी लागत की खरीदी गई ? (ग) कंडिका ''क'' की शिकायतों पर जांच में किसे दोषी पाया गया है ? क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी हां. दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 2007 को जिला मलेरिया स्तरीय बैठक के दौरान जिला मलेरिया अधिकारियों द्वारा. (ख) इन्डोजर्मन एग्रीकल्चर स्पेयर एंड प्रेसिंग वर्क्स 125 चांद सिनेमा के पास, जीटी रोड, लुधियाना (पंजाब) से. 2049 नग. रुपये 54,29,450.00. (ग) शिकायतों के आधार पर प्रारंभिक कार्यवाही में संबंधित फर्म से सामग्री को बदलकर आदेश में वर्णित स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करने हेतु लिखा गया. राज्य कार्यक्रम अधिकारी मलेरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, भंडार प्रभारी का प्रभार बदला गया तथा स्टोर कीपर को निलंबित कर प्रकरण विवेचना हेतु थाना गोल बाजार रायपुर में दिनांक 5-10-2007 को पंजीबद्ध कराया गया. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

देशी मदिरा दुकानों का संचालन

17. (*क्र. 319) **श्री उदय मुदलियार :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव शहर के अंतर्गत डोंगरगांव रोड स्थित देशी मदिरा की दुकान वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में किन-किन स्थानों पर संचालित होती रही है ? (ख) उपरोक्त

† परिशिष्ट ''नौ''   †† परिशिष्ट ''दस''

वर्षों में इस दुकान की न्यूनतम गारंटी राशि (एम. जी.) कितनी-कितनी थी ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) वर्ष 2007-08 में इस दुकान को संचालित करने के लिए किस स्थान का प्रकाशन देशी मदिरा के ठेके के समय शासन द्वारा प्रकाशित किया गया ? क्या यह दुकान प्रकाशित स्थान पर संचालित हो रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	नाम दुकान	संचालन का स्थान	न्यूनतम गारंटी राशि (रुपये लाख में)
2005-06	देशी मदिरा दुकान बसंतपुर	कौशिकभाठा वार्ड नं. 39, डोंगरगांव रोड पर, पुराना नाका के पास.	रु. 63.72
2006-07	देशी मदिरा दुकान बसंतपुर	बसंतपुर वार्ड नं. 40, डोंगरगांव रोड, गंज मंडी के पास.	रु. 35.52
2007-08	देशी मदिरा दुकान डोंगरगांव रोड	बसंतपुर वार्ड नं. 40, डोंगरगांव रोड, गंज मंडी के पास.	रु. 35.20

(ग) प्रश्नांकित वर्ष में उक्त दुकान के संचालन हेतु महामाया पुलिस चौकी (बसंतपुर चौक) से डोंगरगांव रोड पर नगर निगम सीमा क्षेत्र तक का स्थल प्रकाशित किया गया था. दुकान प्रकाशित स्थल पर संचालित नहीं हो रही है, कलेक्टर के पत्र क्रमांक 1245, दिनांक 02-07-2007 द्वारा लायसेंसी को निर्धारित स्थल पर दुकान संचालन हेतु दिए गए आदेश के विरुद्ध लायसेंसी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 4148/2007 प्रस्तुत की है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रदान किया गया है.

शौचालयों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

18. (*क्र. 461) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में महासमुंद जिले में शौचालयों का निर्माण किया गया ? यदि हां, तो प्रत्येक की लागत कितनी है ? (ख) कंडिका "क" की राशि कब तथा कितनी उपलब्ध करायी गई ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हां, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत महासमुंद जिले में बी. पी. एल. परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालय, स्कूल शौचालय एवं आंगनबाड़ी शौचालय का निर्माण किया गया है. इनकी लागत निम्नानुसार है :-

1.	बी. पी. एल. परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालय		प्रति शौचालय रु. 1500.00
2.	स्कूल शौचालय		
	1.	सिंगल यूनिट	रुपये 20,000.00
	2.	डबल यूनिट	रुपये 40,000.00
3.	आंगनबाड़ी शौचालय		रुपये 5000.00 प्रति यूनिट

(ख) जिला जल एवं स्वच्छता समिति महासमुंद द्वारा वर्ष 2006-07 में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु रुपये 11,04,300.00 एवं स्कूल शौचालय निर्माण हेतु रु. 13,52,399.00 एवं वर्ष 2007-08 में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु रु. 1,60,90,085.00, स्कूल शौचालय निर्माण हेतु रुपये 46,91,810.00 एवं आंगनबाड़ी शौचालय हेतु रु. 45,000.00 राशि ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को उपलब्ध करायी गई. विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार.

प्रेसीडेंट इन काऊंसिल में उपाध्यक्ष को रखे जाने संबंधी

19. (*क्र. 398) **श्री भूपेश बघेल :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक दो/05/166/2329 दिनांक 08-04-2005 द्वारा यह परिपत्र जारी किया गया है कि पी. आई. सी.

(प्रेसीडेंट इन काऊंसिल) में उपाध्यक्ष को रखना अनिवार्य है ? (ख) यदि हां, तो जिला दुर्ग के भिलाई-चरौदा में उपाध्यक्ष को पी. आई. सी. में रखा गया है ? यदि नहीं, तो शासन नियमों के विपरित कार्य हेतु क्या कार्यवाही करेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी नहीं. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक दो/05/166/1329 दिनांक 08-04-2005 द्वारा परिपत्र जारी किया गया है, प्रेसीडेंट इन काऊंसिल के सदस्य के रूप में उपाध्यक्ष को भी सम्मिलित करने का प्रावधान है. (ख) जी नहीं. मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश जारी किए गए है.

शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरौद में रिक्त पदो की पूर्ति

20. (*क्र. 185) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरौद में कितने पद स्वीकृत है ? स्वीकृत पद के विरुद्ध वर्तमान में कितने कार्यरत है, पदवार जानकारी दें ? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरौद में 25 पद स्वीकृत है. स्वीकृत पद के विरुद्ध वर्तमान में 13 कार्यरत है. पदवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

आंत्रशोथ से हुई मौतें

21. (*क्र. 92) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आंत्रशोथ से वर्ष 2006 तथा 2007 में दिनांक 03-11-2007 तक कितने लोगों की मौत हुई ? जिलेवार जानकारी देवें. (ख) उक्त अवधि में कवर्धा जिले में आंत्रशोथ बीमारी से कितने बैगा आदिवासियों की मौत हुई है ? (ग) आंत्रशोथ से बचाव के लिए राज्य शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2006 में 12 तथा 2007 में (03-11-2007) तक अवधि में 157. †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) 39. (ग) †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार.

डायरिया एवं मलेरिया से मृतकों की जानकारी

22. (*क्र. 482) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 01 जनवरी, 2007 से 2 अक्टूबर, 2007 तक प्रदेश में डायरिया एवं मलेरिया से कितने व्यक्ति पीड़ित हुये ? कितने लोगों की मौत हो गई ? जिलेवार पीड़ित मरीजों एवं मृतकों की संख्या का विवरण देवें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : डायरिया से 1,16,206 एवं मलेरिया से 4,05,101 पीड़ित हुये. डायरिया से 134 तथा मलेरिया से 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई. ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

डॉ. बी. आर. अंबेडकर अस्पताल में मरीजों को प्रदत्त चिकित्सा सुविधा तथा पदस्थ न्यूरो चिकित्सक

23. (*क्र. 459) **मोहम्मद अकबर :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉ. बी. आर. अंबेडकर अस्पताल कितने बिस्तरों का है ? किन-किन राशन कार्डों के आधार पर मरीजों को छूट प्राप्त है ? (ख) वर्ष 2007 में सिर पर चोट के कारण इस अस्पताल में कितनी मौत हुई ? (ग) कौन-कौन न्यूरो चिकित्सक कब से पदस्थ हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) डॉ. बी. आर. अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर 800 बिस्तरों का है एवं बी. पी. एल. अन्त्योदय योजना के कार्डों के आधार पर मरीजों को छूट प्राप्त है. (ख) वर्ष 2007 में सिर पर चोट के कारण इस चिकित्सालय में 45 मौतें हुई है. (ग) वर्तमान में डॉ. अजय नगराज अप्रैल, 2006 से एवं डॉ. किशोर झा 20 नवंबर, 2007 से मानसेवी चिकित्सक के रूप में पदस्थ है.

---

† परिशिष्ट "ग्यारह" †† परिशिष्ट "बारह" ‡ परिशिष्ट "तेरह"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 116) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र :—

क्रमांक (1)	संचालित स्वास्थ्य केंद्रों के नाम (2)	संचालित होने की तिथि (3)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुंगेली	1988-89
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र :—		
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सेतगंगा	2006
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पालपुका	2006
उप स्वास्थ्य केंद्र :—		
1.	उप स्वास्थ्य केंद्र, मुंगेली	1960
2.	उप स्वास्थ्य केंद्र, नवागांव (गजिया)	1978
3.	उप स्वास्थ्य केंद्र, करही	1978
4.	उप स्वास्थ्य केंद्र, सुरदा	1978
5.	उप स्वास्थ्य केंद्र, खैरवार	1978
6.	उप स्वास्थ्य केंद्र, कंतेली	1978
7.	उप स्वास्थ्य केंद्र, पंडरभट्ठा	1978
8.	उप स्वास्थ्य केंद्र, टेमरी	1978
9.	उप स्वास्थ्य केंद्र, चकरभाठा	1978
10.	उप स्वास्थ्य केंद्र, करूपान	1978
11.	उप स्वास्थ्य केंद्र, सेतगंगा	1978
12.	उप स्वास्थ्य केंद्र, राजपुर	1978
13.	उप स्वास्थ्य केंद्र, दुल्लापुर	1978
14.	उप स्वास्थ्य केंद्र, भालापुर	1978
15.	उप स्वास्थ्य केंद्र, फंदवानी	1978
16.	उप स्वास्थ्य केंद्र, पुरान	1978
17.	उप स्वास्थ्य केंद्र, नवागांव (घोनू)	2005
18.	उप स्वास्थ्य केंद्र, टेड़हाधौरा	2005
19.	उप स्वास्थ्य केंद्र, पौनी	2005
20.	उप स्वास्थ्य केंद्र, छटन	2005
21.	उप स्वास्थ्य केंद्र, उदका	2005
22.	उप स्वास्थ्य केंद्र, झलियापुर	2005
23.	उप स्वास्थ्य केंद्र, छाता	2005
24.	उप स्वास्थ्य केंद्र, माहियानपुर (मातिमपुर)	2005
25.	उप स्वास्थ्य केंद्र, बिहारपुर (बहरपुर)	2005
26.	उप स्वास्थ्य केंद्र, कोपलारी	ज्ञात नहीं ज्ञात की जा रही है
27.	उप स्वास्थ्य केंद्र, भालूखोदरा	1988-1989
28.	उप स्वास्थ्य केंद्र, कुसुमतरा	ज्ञात नहीं ज्ञात की जा रही है

प्रपत्र "ब"

भवन विहीन स्वास्थ्य केंद्रों की सूची :—

क्रमांक (1)	संचालित स्वास्थ्य केंद्रों के नाम (2)	रिमार्क (3)
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सेतगंगा	
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पालखुथा	
3.	उप स्वास्थ्य केंद्र, मुंगेली	
4.	उप स्वास्थ्य केंद्र, नवागांव (गंजिया)	
5.	उप स्वास्थ्य केंद्र, करही	
6.	उप स्वास्थ्य केंद्र, सुरदा	
7.	उप स्वास्थ्य केंद्र, खैरवार	
8.	उप स्वास्थ्य केंद्र, कंतेली	
9.	उप स्वास्थ्य केंद्र, पंडरभट्ठा	
10.	उप स्वास्थ्य केंद्र, टेमरी	
11.	उप स्वास्थ्य केंद्र, चकरभाठा	
12.	उप स्वास्थ्य केंद्र, करूपान	
13.	उप स्वास्थ्य केंद्र, सेतगंगा	भवन निर्माण स्वीकृत है.
14.	उप स्वास्थ्य केंद्र, राजपुर	भवन निर्माण स्वीकृत है.
15.	उप स्वास्थ्य केंद्र, दुल्लापुर	भवन निर्माण स्वीकृत है.
16.	उप स्वास्थ्य केंद्र, भालापुर	भवन निर्माण स्वीकृत है.
17.	उप स्वास्थ्य केंद्र, फंदवानी	
18.	उप स्वास्थ्य केंद्र, पुरान	
19.	उप स्वास्थ्य केंद्र, नवागांव (चौनू)	
20.	उप स्वास्थ्य केंद्र, टेड़हाधौरा	भवन निर्माण स्वीकृत है.
21.	उप स्वास्थ्य केंद्र, चौनी	
22.	उप स्वास्थ्य केंद्र, झटन	
23.	उप स्वास्थ्य केंद्र, उदका	
24.	उप स्वास्थ्य केंद्र, झलियापुर	
25.	उप स्वास्थ्य केंद्र, लाता	भवन निर्माण स्वीकृत है.
26.	उप स्वास्थ्य केंद्र, माहियानपुर (मोतिमपुर है)	
27.	उप स्वास्थ्य केंद्र, बिहारपुर (बहरपुर है)	
28.	उप स्वास्थ्य केंद्र, कोयलारी विकासखण्ड, लोरमी	
29.	उप स्वास्थ्य केंद्र, राजपुर विकासखण्ड, लोरमी	
30.	उप स्वास्थ्य केंद्र, भालुखोदरा विकासखण्ड, लोरमी	
31.	उप स्वास्थ्य केंद्र, कुसुमता विकासखण्ड, लोरमी	

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 64) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम (3)	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम (4)
1.	लोहण्डीगुड़ा	1. बेलर	1. उसरीबेड़ा
		2. अलनार	2. चन्दनपुर
		3. बिन्ता	3. बड़ाजी
		4. हितामेटा	4. बेलर
		5. मार्डुम	5. कोडियागुड़ा
			6. बाफनपाल
			7. तारागांव
			8. आंजर
			9. गडिया
			10. कचनार
			11. अलनार
			12. इरिकपाल
			13. मटनार
			14. धाराऊर
			15. चित्रकोट
			16. धारापुर
			17. मार्डुम
			18. बदरेंगा
			19. तोयर
			20. बिन्ता
			21. मारिकोडेर
			22. चन्देला
			23. ककनार
			24. हर्राकोडेर
			25. बोदली
2.	बास्तानार	1. मुतनपाल	1. बड़े किलेपाल
		2. कापानार	2. किलेपाल-3
		3. काकलूर	3. कोडेनार
			4. सिलकझोडी
			5. तुरंगुर
			6. बास्तानार
			7. जामगांव
			8. मुतनपाल
			9. बागमुंडी
			10. इरपा
			11. काललूर
			12. कापानार
			13. बड़े बोदेनार
			14. कुमार साडरा
			15. साडरा बोदेनार
			16. बुरगुम
			17. काकलूर-ब
	कुल योग	कुल 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	कुल 42 उप स्वास्थ्य केंद्र

प्रपत्र "ब"

क्रमांक (1)	विकासखण्ड (2)	स्वास्थ्य केंद्र का नाम (3)	पदनाम (4)	रिक्ति समय (5)
1.	लोहण्डीगुड़ा	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हितमेटा	चिकित्सा अधिकारी नेत्र सहायक	2005 Nov 2007
		प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बेलर	नेत्र सहायक	Nov 2007
		प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अलनार	नेत्र सहायक	Nov 2007
		प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मार्डुम	चिकित्सा अधिकारी नेत्र सहायक ड्रेसर ग्रेड-1	2005 Nov 2007 Jan 2007
		उप स्वास्थ्य केंद्र, बड़ाजी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	- 10-08-2007
		उप स्वास्थ्य केंद्र, ईरीकपाल	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	Jul 2007 -
		उप स्वास्थ्य केंद्र, बिन्ता	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	Jul 2007 31-03-2007
		उप स्वास्थ्य केंद्र, चन्देला	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	Jul 2007 -
2.	बास्तानार	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मूतनपाल	लेब टेक्नीशियन ड्रेसर ग्रेड-1 नेत्र सहायक	Apl 2007 Jul 2005 Nov 2007
		प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़े काकलूर	नेत्र सहायक	Nov 2007
		प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कापानार	नेत्र सहायक	Nov 2007
		उप स्वास्थ्य केंद्र, किलेपाल-3	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	- 6 वर्ष
		उप स्वास्थ्य केंद्र, कोडेनार	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	- 2003
		उप स्वास्थ्य केंद्र, मूतनपाल	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	- 2002
		उप स्वास्थ्य केंद्र, इंरपा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	- 2005
		उप स्वास्थ्य केंद्र, काकलूर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	- 3 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		उप स्वास्थ्य केंद्र, कापालना	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	–
			पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2005
		उप स्वास्थ्य केंद्र, बड़े बोदेनार	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	–
			पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	6 वर्ष
		उप स्वास्थ्य केंद्र, कुमार साडरा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	–
			पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2006
		उप स्वास्थ्य केंद्र, काकलूर-ब	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	–
			पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4 वर्ष

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 412) के भाग (क) की जानकारी]

क्र. (1)	स्वीकृत पद (2)	संख्या (3)	कार्यरत (संवर्ग-वार) अधिकारी/कर्मचारी (4)
1.	महानिदेशक	01	डॉ. पी. के. भट्ट, प्रभारी महानिदेशक
2.	कार्यकारी संचालक	01	डॉ. एस. कर्मकार, प्रभारी कार्यकारी संचालक
3.	संचालक (परियोजना संचालक)	01	--
4.	संचालक (वरिष्ठ संसाधन वैज्ञानिक)	01	--
5.	प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (संयुक्त संचालक)	03	डॉ. बी. के. राय -- --
6.	संसाधन वैज्ञानिक	03	डॉ. एन. व्ही. देशपाण्डे -- --
7.	वैज्ञानिक अधिकारी/वैज्ञानिक (वरिष्ठ वेतनमान)	06	श्री प्रशांत कविश्वर श्री एम. के. बेग -- -- -- --
8.	वैज्ञानिक अधिकारी/वैज्ञानिक वैज्ञानिक वैज्ञानिक अधिकारी	06	डॉ. त्रिभुवन सिंह डॉ. (श्रीमती) जे. के. राय डॉ. ए. के. पाठक श्री के. श्रीनिवास राव डॉ. अमित दुबे --
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	
10.	वित्त अधिकारी	01	सुश्री ज्योत्सना तिवारी (प्रतिनियुक्ति से)
11.	प्रशासकीय अधिकारी	01	
12.	तकनीकी सहायक/कार्टोग्राफर (वरिष्ठ वेतनमान) (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/वरिष्ठ कार्टोग्राफर)	06	श्री एस. पी. पाण्डे, कार्टोग्राफर -- -- -- -- --

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	तकनीकी सहायक कार्टोग्राफर	06	श्री अखिलेश त्रिपाठी -- -- -- -- --
14.	असिस्टेण्ट प्रोग्रामर	01	
15.	सेक्शन आफिसर	01	
16.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	02	
17.	एकाउंटेण्ट	01	
18.	सहायक-1	04	श्री शशिकांत पोल -- -- --
19.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	03	श्री दयासागर कच्छप सुश्री फहमीदा शेख --
20.	सहायक ग्रेड-2	06	श्री एन. एस. एस. आर. मूर्ति श्री प्रेमशंकर धुरिया श्री अनिल एक्का श्री हेरमन तिग्गा -- --
21.	मैकेनिक	01	श्री अब्राहम एक्का
22.	सहायक ग्रेड-3	04	श्रीमती मिथलेश दास श्री गजेन्द्र साहू श्री शैलेन्द्र वर्मा --
23.	डाटा एण्ट्री आपरेटर	02	श्री राजेश कुमार बंजारे --
24.	वाहन चालक	03	श्री के. पी. सुरेश श्री विजयलाल धृतलहरे (प्रतिनियुक्ति पर) श्री सुधीर लकड़ा
25.	दफ्तरी	01	--
26.	भृत्य/चौकीदार	10	श्री लखपति श्री जयदास सिंग श्री गिरधारी लाल श्री रामायण सिंह ध्रुव श्री अजित कुमार टंडन

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 347) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बड़े नवापारा के शौचालय निर्माण में अनियमितता एवं गबन की 13-09-2007 की जांच में सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड सारंगढ़ द्वारा निम्नानुसार अनियमितता पाई गई. 12 वित्त आयोग की राशि के अन्तर्गत सरपंच द्वारा पूर्ण बताये गये शौचालय निर्माण कार्य :—

1. रु. 900/- एवं रु. 1000/- राशि से 19 ए. पी. एल. परिवार में शौचालय नहीं बना है.

2. रु. 2500/- राशि से 4 बी. पी. एल. परिवार में शौचालय नहीं बना है.

3. रु. 1500/- राशि से 2 परिवार में शौचालय नहीं बना है.

4. 3 परिवार को द्वितीय लाभ दिया गया है.

5. रु. 2500/- राशि जारी सूची में से 5 व्यक्ति वर्ष 2005-06 के पहले मृत हो चुके हैं.

6. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत बी. पी. एल. परिवार हेतु जारी राशि रु. 1200/- में सरपंच द्वारा पूर्ण बताये गये 12 परिवार में शौचालय नहीं बना है.

सरपंच द्वारा बनवाये गये कुछ शौचालय सही मापदण्ड एवम् गुणवत्ता विहीन है, जिनका उपयोग हितग्राही नहीं कर रहे हैं.

उक्त प्रतिवेदन कार्यपालन अभियंता द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र.-3376/त.शा./का. अभि./लो.स्वा.यां./रायगढ़ दिनांक 16-11-07 के माध्यम से कलेक्टर-रायगढ़ को प्रेषित किया गया है.

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 85) के भाग (क) की जानकारी]

दुर्ग जिले की नगरीय निकायों में गौरव पथ योजना की जानकारी

(राशि लाखों में)

क्र. (1)	निकाय का नाम (2)	गौरव पथ योजनांतर्गत चयनित मार्ग (3)	स्वीकृत राशि (4)
1.	न. नि. दुर्ग	उतई रोड महात्मा गांधी प्रतिमा से लेकर रेल्वे क्रासिंग तक	766.60
2.	न. नि. भिलाई	छावनी चौक से गुरुनानक मार्केट तक	753.96
3.	न. पा. दल्लीराजहरा	फौव्वारा चौक से वीर नारायण सिंह चौक तक	88.05
4.	न. पा. भिलाईचरौदा	सिरसा गेट चौक से उमदा जरवाय चौक तक	162.45
5.	न.पा. बेमेतरा	मां भद्रकाली मंदिर से लेकर सिंघौरी दुर्ग रोड मिलान तक	77.90
6.	न. पा. बालोद	दल्ली रोड चौराहा से फौव्वारा, जयस्तंभ चौक होते हुए इंदिरा चौक तक	81.29
7.	न. पा. कुम्हारी	नगर पालिका नये कार्यालय भवन से बाबा गुरु घासीदास मंदिर होते हुए गणेश चौक, बाजार चौक, ईंदल सिन्हा घर होते हुए पात्रा तालाब होते हुए आई. डी. एस. एम. टी. योजनांतर्गत विकसित आवासीय भूखण्ड के बगल से जोरा तालाब तक.	85.52
8.	न. पा. जामुल	संतोषी चौक से नगर पालिका कार्यालय भवन तक	76.79
9.	न. पं. अहिवारा	नवकार द्वार से सण्डी रोड तक	63.35
10.	न. पं. धमधा	कोष्टा तालाब गंडई रोड से नैयापारा मंच तक	55.13
11.	न. पं. पाटन	स्वामी आत्मानंद चौक से आजाद चौक तक	66.24
12.	न. पं. खम्हरिया	कन्या शाला से चिन्नु ड्राईवर के घर तक (साजा रोड)	53.79
13.	न. पं. गुण्डरदेही	दुर्ग बालोद मार्ग अर्जुन्दा चौक से पुलिस थाना तक	51.50
14.	न. पं. डौण्डी	दुर्गा चौक से मथाई चौक तक	48.65
15.	न. पं. साजा	वर्तमान बस स्टैण्ड से देवकर तिराहा तक	57.97
16.	न. पं. डौण्डीलोहारा	कृषि मण्डी गेट से मस्जिद चौक तक	62.57
17.	न. पं. देवकर	देवकर घोटा मार्ग में चौक से निर्माणाधीन नगर पंचायत कार्यालय भवन तक मार्ग चौड़ीकरण, डामरीकरण निर्माण.	53.96
18.	न. पं. बेरला	मुख्य मार्ग से प्रकाश राजपूत के घर तक	33.01

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	न. पं. गुरुर	अंबेडकर चौक से शहीद वीर नारायण सिंह चौक धमतरी-बालोद मुख्य मार्ग.	51.50
20.	न. पं. परपोड़ी	दिलीप होटल से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक एवं राजेश टेलर्स से श्री झाडूराम देवांगन (धौराभाठा) के घर तक.	54.10
21.	न. पं. नवागढ़	राजीव गांधी चौक से बस स्टैण्ड तक	35.91

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 460) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्रमांक (1)	एन. जी. ओ. का नाम (2)	एन. जी. ओ. अध्यक्ष का नाम व पता (3)
1.	महिला मंच कवर्धा	श्रीमती शताब्दी पाण्डेय बी-2, लोकमान्य, रोहिणीपुरम रायपुर
2.	अटल शिशु एवं महिला कल्याण शिक्षा समिति, राजनांदगांव	श्री राजेन्द्र जरोलिया रोड नं. 29, प्लाट नं.109, शांति नगर भिलाई, जिला-दुर्ग
3.	स्वप्निल एजुकेशन सोसायटी, दुर्ग	श्री बंधन जैन एम. आई. जी. 704, पदनाभपुर, जिला-दुर्ग
4.	बेरोजगार महिला सेवा समिति, दुर्ग	श्रीमती मनोरमा सिंग क्वाटर नं. 9/एच, रोड नं. 1, जोन-3, खुर्सीपार भिलाई, जिला-दुर्ग.
5.	सोशियल रिवाइवल ग्रुप आफ अरबन, रूरल एवं ट्राइबल (ब्रोत) रायपुर.	श्री डिक्सन मसीह सी-39, रिषभ नगर, पवन विहार कालोनी, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर.
6.	महिला मंच राजनांदगांव	श्रीमती शताब्दी पाण्डेय अंबेडकर मंगल भवन, बलदेव बाग, सवेरा संकेत आफिस के पीछे, राजनांदगांव.
7.	ब्रह्म शिक्षण समिति, कवर्धा	श्री जयेश कवाड़िया एच. आई. जी.-13, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर.
8.	छ. ग. रेंजर्स यूथ फोरम, बिलासपुर	श्री नरेन्द्र कुशवाहा 47/62, न्यूसरकंडा, सीपत चौक, बिलासपुर
9.	अटल शिशु एवं महिला कल्याण शिक्षा समिति, कवर्धा.	श्री राजेन्द्र जरोलिया रोड नं. 29, प्लाट नं. 109, शांति नगर भिलाई, जिला-दुर्ग.
10.	श्री शांतिविजय सेवा समिति, महासमुंद	श्री महेन्द्र श्री श्रीमाल गांधी चौक, महासमुंद
11.	सूर्या सामाजिक जन कल्याण समिति, बिलासपुर	श्री युवराज 37 सर्वोदय नगर, हीरापुर, रायपुर
12.	नवजीवन निर्मल संस्थान, रायगढ़	श्री धीरेन्द्र मिश्रा देवनंदन नगर सीपत रोड, बिलासपुर
13.	अखिल भारतीय मानव चेतना कला संस्थान, दंतेवाड़ा	श्री कृष्णा रमानी उत्कल भवन, सतनाम भवन के पास, जिला-दंतेवाड़ा

(1)	(2)	(3)
14.	मौलिक संसाधन संरक्षण एवं विकास परिषद, सरगुजा	श्री सत्यदेव शर्मा ई-2, 5/7 श्वेता विद्या मंदिर के पास, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर
15.	आस्था फाउंडेशन, कोरबा	श्री राजेन्द्र जायसवाल के. एम. काम्पलेक्स ए. टी. एम. बिल्डिंग, कोरबा
16.	श्री नाथु सिंग महिला विकास संस्थान, रायपुर	श्रीमती मनोरमा सिंग एच-5, सत्यप्रेम विहार, महादेवघाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर.

प्रपत्र "ख"

वित्तीय वर्ष 2006-07 में एन. जी. ओ. को प्रदत्त राशि

क्र. (1)	एन. जी. ओ. का नाम (2)	कार्यक्षेत्र (3)	कार्यक्रम का नाम (4)	प्रदत्त राशि (5)
1.	सूर्या सामाजिक जन कल्याण समिति	तखतपुर-मुंगेली	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
2.	स्रोत	टाटीबंध-मंदिरहसौद	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
3.	स्वप्निल एजुकेशन सोसायटी	भिलाई-दुर्ग	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
4.	श्री नाथूसिंह महिला विकास संस्थान	उरला औद्योगिक क्षेत्र	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
5.	श्री शांतिविजय सेवा समिति	नदीमोड़-सरायपाली	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
6.	महिला मंच	गंडई, राजनांदगांव	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
7.	महिला मंच	कवर्धा-लाखाटोला	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
8.	ब्रह्म शिक्षण समिति	पोड़ी, कवर्धा	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
9.	बेरोजगार महिला सेवा समिति	भिलाई-दुर्ग	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
10.	मौलिक संसाधन संरक्षण एवं विकास परिषद्	विश्रामपुर, सरगुजा	लक्षित हस्तक्षेप	6,00,000
11.	आस्था फाउंडेशन	कोरबा	लक्षित हस्तक्षेप	6,00,000
12.	अटल शिशु एवं महिला कल्याण शिक्षा समिति.	राजनांदगांव	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
13.	अटल शिशु एवं महिला कल्याण शिक्षा समिति.	कवर्धा	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
14.	छत्तीसगढ़ रेंजर्स	बिलासपुर	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
15.	अखिल भारतीय मानव चेतना कला संस्थान.	दंतेवाड़ा	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000
16.	नवजीवन निर्मल संस्थान	रायगढ़	लक्षित हस्तक्षेप	4,00,000

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 186) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 06 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 53 उप स्वास्थ्य केंद्र तथा 01 सिविल डिस्पेंसरी संचालित है.

स्थानवार नाम सहित निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	स्वास्थ्य केंद्र का नाम (2)	स्थान (3)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	खरौद
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	पामगढ़, ससखन, केरा, नवागढ़, बारगांव, बिर्रा
3.	सिविल डिस्पेंसरी	शिवरीनारायण
4.	उप स्वास्थ्य केंद्र	1. पामगढ़, 2. चण्डीपारा, 3. भैंसों, 4. डोंगाकोहरौद, 5. कोसा, 6. कोनार, 7. भिलौनी, 8. हिर्री, 9. जेवरा, 10. ससहा, 11. रसौटा, 12. कोड़ाभाट, 13. लोहर्सी, 14. धरदेई, 15. तिवारीपारा, 16. शुकुलपारा, 17. तनौद, 18. बुंदेला, 19. राहौद, 20. महका, 21. बारगांव, 22. कोसला, 23. बिर्रा, 24. सिलादेही, 25. तालदेवरी, 26. करनौद, 27. जगमहंत, 28. महंत, 29. अमोरा, 30. अंवरीद, 31. सेमरा, 32. धुठिया, 33. नवागढ़, 34. किरीत, 35. बरगांव, 36. रोगदा, 37. मिऊड़, 38. हरदी, 39. केरा, 40. नगारीडीह, 41. कनस्दा, 42. तुस्मा, 43. मिरदा, 44. भठली, 45. ससखन, 46. गोधना, 47. रिंगनी, 48. कुरियारी, 49. कचंदा, 50. कटौद, 51. शिवरीनारायण, 52. बोरसी, 53. खोरसी.

प्रपत्र "ब"

भवनविहीन स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	स्वास्थ्य केंद्र का नाम (2)	स्थान (3)
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1. ससलखन, 2. बारगांव, 3. बिर्रा
2.	उप स्वास्थ्य केंद्र	1. पामगढ़, 2. चण्डीपारा, 3. भैंसों, 4. कोनार, 5. भिलौनी, 6. जेवरा, 7. ससहा, 8. रसौटा, 9. कोड़ाभाट, 10. लोहर्सी, 11. भरदेई, 12. तिवारीपारा, 13. शुकुलपारा, 14. बुंदेला, 15. सहीद, 16. महका, 17. बारगांव, 18. कोसला, 19. सिलादीह, 20. तालदेवरी, 21. जगमहंत, 22. महंत, 23. अमोरा, 24. अंवरीद, 25. सेमरा, 26. घुठिया, 27. किरीत, 28. खरगांव, 29. रोगदा, 30. सिऊड़, 31. हरदी, 32. केरा, 33. नगारीडीह, 34. कनस्दा, 35. तुस्मा, 36. मिस्दा, 37. भठली, 38. रिंगनी, 39. कुरियारी, 40. कचंदा, 41. फरीद, 42. शिवरीनारायण.

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 287) के भाग (ख) की जानकारी]

1 अप्रैल 2007 से 31 अक्टूबर 2007 तक हैण्डपंप मरम्मत की विकासखण्डवार जानकारी

जिला-महासमुन्द

(राशि रुपये में)

क्र.	विकासखण्ड	मरम्मत किये गये हैण्डपंपों की संख्या	उपयोग में लाये गये स्पेयर पार्ट्स की लागत	मजदूरी पर व्यय रु.	कुल व्यय रु.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	महासमुन्द	1021	557546.00	232406.00	789952.00
2.	बागबाहरा	870	512342.00	232406.00	744748.00
3.	पिथौरा	1395	710370.00	232406.00	942776.00
4.	बसना	1467	368348.00	582399.00	950747.00
5.	सरायपाली	1351	636489.00	536347.00	1172836.00
	योग	6104	2785095.00	1815964.00	4601059.00

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 481) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र. (1)	मशीनों के नाम (2)	प्रक्रिया (3)	संस्थाओं (4)	कम्पनी (5)	कुल लागत (6)
1.	कलर डापलर	खुली निविदा प्रक्रिया	मे. ट्रीवोट्रान मेडिकल सिस्टम, प्रा. लिमि., 15 फोर्थ स्टिट, अभीरामपुरम - चेन्नई द्वारा अधिकृत फर्म छतीसगढ़ सर्जिकल एम. आई. जी.-4, सेक्टर 3, शंकर नगर, रायपुर.	आलोका कंपनी प्रा. लि. जापान.	39360000
2.	मॉनीटर	खुली निविदा प्रक्रिया	मे. ट्रीवोट्रान मेडिकल सिस्टम, प्रा. लिमि., 15 फोर्थ स्टिट, अभीरामपुरम - चेन्नई द्वारा अधिकृत फर्म मे. ट्रीवोट्रान सिस्टम, रत्नाबांधा रोड, धमतरी.	निहान कोडेन कंपनी, जापान.	29490750
3.	माईक्रोस्कोप	भारत शासन द्वारा निर्धारित डी. जी. एस. एण्ड डी. दरों पर.	मे. साईटिफिक इंडिया, 33 इन्डस्ट्रियल स्टेट, अंबाला कैन्ट द्वारा अधिकृत फर्म श्री इम्पेक्स, दलदल सिवनी, विधान सभा रोड़ मोवा, रायपुर.	साईटिफिक इंडिया, दिल्ली.	16508270
4.	स्प्रे मशीन	खुली निविदा प्रक्रिया	मे. इन्डोजर्मन एग्रीकल्चर स्पेयर एंड प्रेसिंग वर्क्स 125 चांद सिनेमा के पास, जीटी रोड लुधियाना को क्रय आदेश तथा अधिकृत फर्म मधु इंटर-प्राईजेस 24 बी, एकात्म परिसर, रायपुर.	मे. एग्रो इक्वीपमेंट प्रा. लिमि., नई दिल्ली.	5429450

प्रपत्र "ब"

क्र. (1)	उपकरण का नाम (2)	मात्रा (3)	भुगतान राशि (4)	संस्था का नाम (5)
1.	कलर डापलर	16	19680000	छ. ग. सर्जिकल एम. आई. जी.-4, सेक्टर 3 शंकर नगर, रायपुर.
2.	मॉनीटर	10	29490750	मे. ट्रॉनीट्रान सिस्टम, रत्नाबांधा रोड, धमतरी
3.	माईक्रोस्कोप	502	16508270	श्री इम्पेक्स, दलदल सिवनी, विधान सभा रोड मोवा, रायपुर.
4.	स्प्रे मशीन	2049	5429450	मधु इंटर प्राईजेस 24 बी, एकात्म परिसर, रायपुर.

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 458) के भाग (क) की जानकारी]

जिले स्तर से की गई खरीदी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	सी. एम. ओ. (3)	सिविल सर्जन (4)
1.	बिलासपुर	सृष्टि इंटरप्राईजेस, रायपुर 5500.00 रुपये के दर से माईक्रास्कोप एक नग भुगतान किया जा चुका है.	निरंक
2.	जगदलपुर	1. वर्ष 2005-06 में सिटिजन फार्मासिटिकल्स एण्ड सर्जरी, नई दिल्ली 9 नग माइक्रोस्कोप दर 1355.00 कुल 1,21,500.00 का भुगतान किया जा चुका है. 2. वर्ष 2006-07 में साईंटिफिक सर्जीकल, रायपुर 2 नग माइक्रोस्कोप दर-29,500.00 कुल 59,000.00 का भुगतान किया जा चुका है.	निरंक
3.	दुर्ग	बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप ओलम्पस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 40 नग, दर-43,164.00 Including 4% Vatt कुल 13,66,560.00 का भुगतान किया जा चुका है.	हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड 1 नग कलर डापलर दर 25,94,800.00 भुगतान किया जा चुका है.
4.	जांजगीर-चांपा	लेप्रास्कोप 2 नग कोलेतुकर सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई दर 6,00,800.00 रुपये का भुगतान किया जा चुका है.	निरंक
5.	जशपुर	लेप्रास्कोप 2 नग बाबा केमिकल्स एण्ड मेडिकल एजेंसी, अम्बिकापुर दर 6,24,608.00 कुल 1249216.00 रुपये का भुगतान किया जा चुका है.	निरंक
6.	कांकेर	निरंक	निरंक
7.	कवर्धा	वर्ष 2006-07 में माइक्रोस्कोप अनिल मेडिकल एजेंसी, धमतरी एवं भारत मेनुफेक्चर्स, सोनीपत 8,980.00 की दर से खरीदी गई, खरीदी की संख्या सीएमओ द्वारा नहीं दी गई.	निरंक
8.	कोरबा	वर्ष 2006 में कलोलकर सर्जिकल, मुम्बई से 4 नग लेप्रोस्कोप दर अंकित नहीं की गई है, भुगतान लंबित है.	सी. एम. ओ. द्वारा क्रय की 4 नग लेप्रोस्कोप में 2 नग सिविल सर्जन स्थापना के लिये है.

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	कोरिया	वर्ष 2007 में कलौलकर सर्जिकल, मुम्बई से 2 नग लेप्रोस्कोप 6,24,832.00 की दर कुल 12,49,664.00 रुपये का भुगतान किया गया.	निरंक
10.	महासमुंद	निरंक	निरंक
11.	रायगढ़	कलौलकर सर्जिकल, मुम्बई 1 नग लेप्रोस्कोप दर 6,24,608 का भुगतान किया गया है.	निरंक
12.	रायपुर	निरंक	निरंक
13.	राजनांदगांव	रेडिकल इक्यूपमेंट, अम्बाला बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप 1 नग 32,825.00 रुपये का भुगतान किया जा चुका है.	निरंक
14.	सरगुजा	वर्ष 2006 में हिमियोडायलिसिस मशीन मेसर्स जवाहर मेडिकल एजेंसी, धमतरी से 99,60,000.00 दर से खरीदी गई.	निरंक
15.	धमतरी	निरंक	निरंक
16.	दंतेवाड़ा	अप्राप्त	अप्राप्त

प्रदेश स्तर से की गई खरीदी

क्र.	उपकरणों के नाम	फर्म का नाम	दर	भुगतान की अद्यतन स्थिति	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	माईक्रोस्कोप	मे. साईंटिफिक इंडिया, 33 इन्डस्ट्रियल स्टेट, अंबाला कैन्ट को क्रय आदेश तथा अधिकृत फर्म श्री इंपेक्स, दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर द्वारा आपूर्ति की गई एवं अधिकृत फर्म को भुगतान किया गया.	32885	16508270	-
2.	कलर डापलर	मे. ट्रीवीट्रान मेडिकल सिस्टम, प्रा. लिमि., 15 फोर्थ स्टिट, अभीरामपुरम-चेन्नई को क्रय आदेश तथा अधिकृत फर्म छत्तीसगढ़ सर्जिकल एम. आई. जी.-4 सेक्टर 3 शंकर नगर, रायपुर द्वारा आपूर्ति की गई एवं अधिकृत फर्म को भुगतान किया गया.	2460000	19680000	शासन के निर्देशानुसार 8 नग कलर डापलर मशीनों के भुगतान रु. 19680000 पर रोक लगाई गई है.
3.	मॉनीटर	मे. ट्रीवीट्रान मेडिकल सिस्टम, प्रा. लिमि., 15 फोर्थ स्टिट, अभीरामपुरम-चेन्नई को क्रय आदेश तथा अधिकृत फर्म ट्रीवीट्रान सिस्टम, रत्नाबांधा रोड, धमतरी द्वारा आपूर्ति की गई एवं अधिकृत फर्म को भुगतान किया गया.	2949075	29490750	राशि रुपये 1,76 लाख वापस जमा की जा चुकी है तथा शेष राशि जमा करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
4.	हीमो डायलिसिस	-	-	-	उल्लेखित अवधि में क्रय नहीं किया गया है.
5.	स्प्रे मशीन	मे. इन्डोजर्मन एग्रीकल्चर स्पेयर एंड प्रेसिंग वर्क्स 125 चांद सिनेमा के पास, जीटी रोड लुधियाना को क्रय आदेश तथा अधिकृत फर्म मधु इंटरप्राईजेस 24 बी, एकात्म परिसर रायपुर द्वारा आपूर्ति की गई एवं अधिकृत फर्म को भुगतान किया गया.	2650	5429450	-
6.	लैप्रोस्कोप	-	-	-	उल्लेखित अवधि में संचालनालय से क्रय नहीं किया गया है.

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 185) के भाग (क) की जानकारी]

शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरौद में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की जानकारी

क्र. (1)	पदनाम (2)	स्वीकृत पद (3)	कार्यरत पद (4)
1.	प्राचार्य	1	–
2.	प्राध्यापक अर्थशास्त्र	1	–
3.	प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र	1	–
4.	प्राध्यापक संस्कृत	1	–
5.	सहा. प्राध्यापक अर्थशास्त्र	1	1
6.	सहा. प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र	1	1
7.	सहा. प्राध्यापक संस्कृत	2	–
8.	सहा. प्राध्यापक हिन्दी	2	1
9.	सहा. प्राध्यापक अंग्रेजी	1	–
10.	सहा. प्राध्यापक भूगोल	1	–
11.	सहा. प्राध्यापक समाजशास्त्र	1	–
12.	सहा. प्राध्यापक वाणिज्य	2	1
13.	ग्रंथपाल	1	–
14.	सहा. ग्रेड-2	1	1
15.	सहा. ग्रेड-3	2	–
16.	प्रयोगशाला तकनीशियन	–	1
17.	प्रयोगशाला परिचारक	1	1
18.	भृत्य	2	3
19.	बुक लिफ्टर	1	1
20.	फर्राश	1	2
21.	चौकीदार	1	–
	योग	**25**	**13**

परिशिष्ट "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 92) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2006	वर्ष 2007 (03-11-2007 तक)
		मृत्यु	मृत्यु
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बिलासपुर	0	18
2.	दन्तेवाड़ा	0	0
3.	धमतरी	3	6
4.	दुर्ग	0	12
5.	जगदलपुर	0	19
6.	जांजगीर-चांपा	0	8
7.	जशपुर	0	7
8.	कबीरधाम	0	41 (39 Baiges + 2 others)
9.	कोरबा	0	3
10.	कांकेर	0	0
11.	कोरिया	0	8
12.	महासमुन्द	2	9
13.	रायगढ़	5	16
14.	राजनांदगांव	0	0
15.	रायपुर	2	4
16.	सरगुजा	0	6
	योग	12	157

प्रपत्र "ब"

आंत्रशोथ एवं अन्य जलजनित रोग एवं उनसे संभावित महामारी से बचाव एवं नियंत्रण हेतु पूर्व से ही तैयारियां कर लेने हेतु शासन एवं प्रशासन की ओर से समस्त जिलों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनके अनुरूप समस्त जिलों में बचाव की कार्यवाही सुनिश्चित किया गया है. राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर महामारी नियंत्रण कक्षों की स्थापना दूरभाष सहित किया गया है, जो 24 घंटे कार्यरत है.

जिला, विकासखण्ड एवं सेक्टर स्तर के चिकित्सालयों पर महामारी काम्बेट दल का गठन वाहन की उपलब्धता सहित कर लिया गया है, जो सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित स्थल पर पहुंचकर रोकथाम एवं उपचार की कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं.

प्रत्येक चिकित्सालय में चिकित्सकों की तथा प्रत्येक उपस्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं. सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में महामारी नियंत्रण हेतु आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किया गया है. पूरे प्रदेश में 41945 डिपो होल्डर एवं 57502 मितानिनों को चिन्हित कर प्रशिक्षित कर उनके पास पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन गोली, ब्लीचिंग पावडर, ओ.आर.एस. पैकेट आदि उपलब्ध कराये गये हैं. खपत होने पर नियमित रूप से औषधियों की भरपाई किया गया है. प्रदेश में 1963 महामारी संभावित ग्राम एवं 1742 वर्षा ऋतु में पहुंचविहीन होने वाले ग्रामों को चिन्हांकित कर सूचीबद्ध किया गया है. इन ग्रामों में पूर्व से पर्याप्त मात्रा में औषधियों का भंडारण करने तथा विशेष कार्य योजना बनाकर जलजनित रोगों से बचाव की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं. प्रदेश के समस्त ग्रामों के पेयजल स्रोतों का ब्लीचिंग पाउडर एवं क्लोरीन गोलियों से जल शुद्धीकरण नियमित रूप से कराये गये. किसी भी क्षेत्र में आंत्रशोथ या अन्य जलजनित रोगों के प्रकोप की सूचना तत्काल प्राप्त करने हेतु सूचना संचार तंत्र को सुदृढ़ करने, आवश्यकतानुसार दूरभाष, पुलिस एवं वन विभाग के वायरलेस, अन्य विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के सहयोग से सूचना अविलंब प्राप्त कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं.

आंत्रशोथ एवं अन्य जलजनित रोगों के बचाव के उपायों के संबंध में नियमित रूप से व्यापक प्रचार-प्रसार जैसे नारे लेखन, मुनियादी, व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठक एवं हाट-बाजारों में प्रचार-प्रसार आदि करवाये गये हैं. राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर महामारी से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई है. संचालनालय स्तर पर समस्त जिलों से महामारी की स्थिति की दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक प्रतिवेदन फैक्स द्वारा प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर महामारी की स्थिति पर नजर रखते हुये आवश्यकतानुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किया गया है. इसके अतिरिक्त प्रतिदिन दूरभाष पर समस्त जिलों से महामारी की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर समीक्षा की गई.

क्षेत्र से उल्टी-दस्त, आंत्रशोथ या बुखार के शिकायतों की जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल चिकित्सा दल के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में पहुंच कर रोकथाम एवं उपचार की कार्यवाही किया गया है. घर-घर भेंट देकर तथा अस्थायी शिविरों का आयोजन कर पीड़ित मरीजों का उपचार किया गया है. गंभीर स्थिति के मरीजों को तत्काल निकटस्थ चिकित्सालयों में भर्ती कराकर उपचार कराया गया है.

औषधियों की कमी के कारण किसी भी मरीज का उपचार प्रभावित ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है. संचालनालय स्तर से प्रत्येक जिले को पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ आवश्यक औषधियों को क्रय कर उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिलों को राशि उपलब्ध कराया गया है. अति आवश्यक परिस्थितियों में जीवन दीप समिति से आवश्यक औषधियों का क्रय कर मरीजों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं.

प्रत्येक चिकित्सालय में ओ.आर.टी. कार्नर की स्थापना किया जा कर ओ.आर.एस. के उपलब्धता सुनिश्चित किया गया है. प्रत्येक क्षेत्र में सड़े-गले भोजन पदार्थों को नष्ट करने तथा उनकी बिक्री पर पाबंदी लगाये जाने की कार्यवाही किया गया है.

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 482) की जानकारी]

क्र.	जिले का नाम	डायरिया		मलेरिया	
		प्रकरण	मृत्यु	प्रकरण	मृत्यु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बिलासपुर	5485	17	1421	0
2.	धमतरी	2032	6	447	0
3.	दन्तेवाड़ा	14996	0	22181	0
4.	दुर्ग	2757	12	998	1
5.	जगदलपुर	13800	19	24881	0
6.	जांजगीर-चांपा	14333	8	318	0
7.	जशपुर	4679	7	9691	0
8.	कबीरधाम	2105	41	1465	0
9.	कोरबा	506	3	8338	0
10.	कांकेर	3205	0	12016	0
11.	कोरिया	1172	0	8906	0
12.	महासमुन्द	3119	9	423	0
13.	रायगढ़	9460	6	6658	0
14.	राजनांदगांव	10391	0	2089	0
15.	रायपुर	25215	0	1007	0
16.	सरगुजा	2951	6	304262	0
	योग	**116206**	**134**	**405101**	**1**